संख्याः427699/ IV(2)/2026–01(AIIB)19 (77136)

प्रेषक,

संतोष बडोनी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक– 1 ~~अगस्त~~ दिसम्बर, 2026**

विषयः वित्तीय वर्ष 2026–27 में नवीन ऋण मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास (फेज–2) ULIP (Loan No-4510 IND) के अन्तर्गत सिविल कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तरखण्ड के पत्रांक– 1399/श0वि0नि09/UUSDA, दिनांक 28.07.2026 तथा कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सैक्टर डेवलपमेन्ट ऐजेन्सी, देहरादून के पत्रांक–यू.यू.एस.डी.आई.ए./ULIP/F&A-03/1173, दिनांक 14.07.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यू0यू0एस0डी0ए0 के अन्तर्गत प्रचलित ऋण सं0 : 4510-IND (मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास (फेज–2) (ULIP) के अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं के चालू सिविल कार्यों हेतु **कुल रू0 50.00 करोड़ (रूपये पचास करोड़ मात्र)** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि **कुल रू0 50.00 करोड़ (रूपये पचास करोड़ मात्र)** प्रश्नगत ऋण हेतु खुले एस0एन0ए0 खाते में व्यय हेतु अन्तरित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों/कार्यों हेतु किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा जो ऋण अनुबन्ध/परियोजना अनुबन्ध के क्रम में विषयान्तर्गत वर्णित कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत है तथा जिनके सम्बन्ध में नियमानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन एवं अधिप्राप्ति की कार्यवाही की गयी है।

(3) व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, प्रचलित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, तथा मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश, अन्य तद्विषयक नियमों एवं समय–समय पर निर्गत तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

(4) उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा।

(5) अप्रयुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(6) उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) वाह्य सहायतित योजना के अन्तर्गत परियोजना/कार्यों की स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्तीय/ प्रशासनिक अधिकारों के प्रतिनिधायन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश सं0–86/XXVII(7)36/2010-11/2019, दिनांक 08.03.2019 एवं वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी विभिन्न शासनादेशों/वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यक्रम निदेशक, यू0यू0एस0डी0ए0 का होगा।

(8) धनराशि व्यय करते समय वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–384289/09(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 01 अप्रैल, 2026 में दिये गये निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष दिनांक 31–03–2027 तक उपयोग सुनिश्चित करते हुए तद्नुसार मदवार व्यय विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

2– उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13, 'लेखाशीर्षक 4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–97–वाह्य सहायतित परियोजनाएं–02–मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास (फेज–2) ए0डी0बी0–53–वृहद् निर्माण' के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 384289/09(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 01 अप्रैल, 2026 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त। एप्लिकेशन आईडी S26090130001

भवदीय,

Digitally signed by
Santosh Badoni
Date: 31-08-2026
17:59:07 **(संतोष बडोनी)**
अपर सचिव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), कौलागढ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– जिलाधिकारी, देहरादून/चम्पावत/पौड़ी/नैनीताल/ऊधमसिंह नगर।
4– कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्मेंट प्रोग्राम, देहरादून।
5– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 31-08-2026
18:50:15
(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

Print Date:-01/Sep/2026 12:31 PM
Signature Not Verified
Digitally signed by: Mr Manoj Chandra Misra
Reason :SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 01-09-2026 12:31:34

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2026-2027)

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - S26090130001

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 01-SEP-2026

लेखा शीर्षक -

4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	**03**	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
051	निर्माण	**97**	बाह्य सहायतित योजना
02	मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास (फेज2) (ए0डी0बी0)		

4	2	1	7	0	3	0	5	1	9	7	0	2

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	53-वृहद निर्माण	600000000	500000000	0	1100000000
	योग	600000000	500000000	0	1100000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 50,00,00,000 (Rupees Fifty Crores Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2609:0001

Approval Status : e-Sign letter

Scanned with OKEN Scanner